

भारत सरकार  
केंद्रीय हिंदी निदेशालय  
उच्चतर शिक्षा विभाग  
शिक्षा मंत्रालय

पश्चिमी खंड-7, रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110 066  
दूरभाष : 011-20862356 एक्स. 212/235/236/281

केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा वर्ष 2022 हेतु शिक्षा पुरस्कार योजना तथा हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार योजना के अंतर्गत एक-एक लाख रुपए के क्रमशः 05 तथा 19 पुरस्कारों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तों के लिए कृपया निदेशालय की वेबसाइट [www.chd.education.gov.in](http://www.chd.education.gov.in) देखें। आवेदन तथा घोषणा पत्र इस विज्ञापन के जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाने चाहिए।

Government of India  
Central Hindi Directorate  
Department of Higher Education, Ministry of Education  
West Block-7, R. K. Puram, New Delhi-110 066  
Tel : 011-20862356 Extn. 212/235/236/281

Central Hindi Directorate invites applications for 05 and 19 awards of one lakh rupees each respectively under **Shiksha Puraskar Scheme** and **Hinditar Bhashi Hindi Lekhak Puraskar Scheme** for the year 2022. For detailed information, terms and conditions, please visit Directorate's website [www.chd.education.gov.in](http://www.chd.education.gov.in). The application and declaration form should be received within 60 days from the date of issue of this advertisement.

भारत सरकार  
केंद्रीय हिंदी निदेशालय  
शिक्षा मंत्रालय  
उच्चतर शिक्षा विभाग

'हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार योजना'

हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के हिंदी लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार योजना शुरू की। इस समय इस योजना के अंतर्गत एक-एक लाख रूपए के 19 पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाने का प्रावधान है।

2. विषय-क्षेत्र

योजना के अंतर्गत पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित श्रेणी की कृतियां विचारणीय होंगी-

- (क) सुजनात्मक साहित्य- इसमें कथा साहित्य, नाटक, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, निबंध, काव्य एवं समीक्षा/आलोचना से संबंधित उत्कृष्ट, मौलिक तथा चिंतन-परक कृतियाँ विचारणीय होंगी।
- (ख) साहित्येतर विषयों यथा- क्षेत्रीय संस्कृति, ललित कला एवं मानविकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक विज्ञान से संबंधित पुस्तकें भी विचारणीय होंगी।
- (ग) भारतीय भाषाओं के स्तरीय- ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी इस योजना में विचारणीय होगा। नोट उपर्युक्त 'क' तथा 'ख' के अंतर्गत पर्याप्त प्रविष्टियाँ प्राप्त न होने की स्थिति में ही 'ग' से संबंधित प्रविष्टियों पर विचार किया जाएगा।
- शोध प्रबंध अथवा लघु शोध प्रबंध इस योजना के अंतर्गत विचारणीय नहीं होंगे।

3. पात्रता:-

- (क) ऐसे लेखक जिनकी मातृभाषा हिंदी को छोड़ कर अन्य कोई भारतीय भाषा हो और जो देश के किसी हिंदीतर भाषी राज्य/संघ शासित प्रदेश जैसे- असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश, अंडमान निकोबार, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, गोवा, जम्मू-कश्मीर, पंजाब आदि में रह रहे हों, इस योजना के अंतर्गत अपनी प्रविष्टियां भेज सकते हैं।
- (ख) ऐसे लेखक जो 15 वर्ष या इसमें अधिक समय तक किसी हिंदी भाषी राज्य/संघ शासित प्रदेश में कभी भी रहें हैं अथवा रह रहे हैं की कृतियाँ इस योजना के अंतर्गत विचारणीय नहीं होंगी।

4. नियम:-

- (i) इस पुरस्कार योजना में केवल ऐसी पुस्तकों पर ही विचार किया जाएगा जो पिछले पाँच वर्षों में प्रकाशित हुई हों। उदाहरण के लिए वर्ष 2005 के पुरस्कारों के लिए वर्ष 2000, 2001, 2002, 2003 तथा 2004 में प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होंगी।
- (ii) योजना के अंतर्गत पुरस्कार हेतु प्रेषित पुस्तक अनिवार्यतः कम से कम 100 पृष्ठों की होनी चाहिए।
- (iii) इस योजना में पांडुलिपियों (हस्तलिखित अथवा टंकित) पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) इस योजना के तहत एक बार पुरस्कृत लेखक पुनः विचारणीय नहीं होंगे।
- (v) केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अधिकारी तथा कर्मचारी एवं उनके आश्रित इस योजना के अंतर्गत अपनी प्रविष्टियाँ भेजने के पात्र नहीं होंगे।
- (vi) भारत सरकार अथवा इसके द्वारा पोषित उपक्रमों संस्थाओं, राज्य सरकारों अथवा व्यावसायिक संस्थाओं/संगठनों द्वारा पुरस्कृत कोई कृति योजना के अंतर्गत विचारणीय नहीं होगी।
- (vii) योजना के अंतर्गत पुरस्कार हेतु पुस्तक की पाँच प्रतियाँ भेजना अनिवार्य है।
- (viii) पुस्तक की पाँच प्रतियों में से तीन प्रतियों पर से लेखक और प्रकाशक के नाम वाले भाग को हटा दिया जाए तथा निदेशालय को भेजने से पूर्व उन प्रतियों की पुनः जिल्दबंदी करा दी जाए। शेष दो प्रतियाँ सामान्य रूपाकार में ही भेजी जाएं।
- (ix) इस योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकें (पुरस्कृत / अपुरस्कृत) वापस नहीं लौटाई जाएंगी।
- (x) पुस्तक की पाँच प्रतियाँ विधिवत भरे हुए विवरण पत्र के साथ निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय (शिक्षा मंत्रालय), पश्चिमी खंड 7, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली 110066 को निर्धारित समय सीमा में भेजी जाएं।
- (xi) आवेदन-पत्र के सभी कॉलम पूर्णतया भरे होने चाहिए तथा समस्त अपेक्षित सामग्री, कागजात, प्रमाण-पत्र आदि संलग्न किए जाने चाहिए।

किसी भी प्रकार के अधूरे विवरण पत्रों / आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में लेखकों से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

5. प्रविष्टियाँ आमंत्रित करने की प्रविधि :-

योजना के अंतर्गत प्रविष्टियाँ केंद्रीय संचार ब्यूरो (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्यूनिकेशन)-प्रिंट मीडिया द्वारा हिंदी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के विविध समाचार-पत्रों में प्रदत्त विज्ञापन द्वारा आमंत्रित की जाएंगी। योजना के अंतर्गत 'साहित्य अकादमी' तथा भारतीय ज्ञानपीठ एवं इन संस्थाओं से पुरस्कृत लेखकों से भी उपयुक्त पात्रों की प्रविष्टियाँ भेजने का अनुरोध किया जाएगा।

योजना से संबंधित समस्त जानकारी निदेशालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में स्थित हिंदी ग्रंथ अकादमियों, विश्वविद्यालयों तथा प्रख्यात गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं को अलग से पत्र भेजकर पुरस्कारों के संबंध में विस्तृत सूचना दी जाएगी ताकि योजना के अंतर्गत अधिकाधिक एवं श्रेष्ठ पुस्तकें प्राप्त हो सकें।

6. **चयन प्रक्रिया :-**

योजना के अंतर्गत पुरस्कारों पर निर्णय के लिए चयन प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न होगी। प्रक्रिया पारदर्शी बनाए रखने के लिए निदेशालय विभिन्न भाषा-भाषी हिंदी विद्वानों की एक बृहत सूची तैयार कराएगा जो चयन समिति के गठन में सहायक होगी। इस आधार सूची में उल्लिखित हिंदी विद्वानों से इतर विद्वान भी समिति में मनोनीत किए जा सकते हैं।

1. **प्रथम चरण :-** इस चरण में पुरस्कारों के लिए प्राप्त पुस्तकों का प्रथम दृष्ट्या आकलन किया जाएगा। आकलन का दायित्व प्रथम चरण की मूल्यांकन समिति पर होगा। इस समिति में आवश्यकतानुसार (लगभग दस) विभिन्न भाषा भाषी हिंदी विद्वानों को शामिल किया जाएगा। यदि समिति यह अनुभव करती है कि विचारणीय वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट कृतियों की प्रविष्टियाँ योजना के अंतर्गत प्राप्त नहीं हुई हैं तो वह अपनी ओर से उन्हें शामिल करने की सिफारिश कर सकती है। ऐसी कृतियों के लेखकों को निदेशालय द्वारा विवरण-पत्र तथा घोषणा-पत्र भिजवा दिया जाएगा ताकि वे इस योजना के अंतर्गत विधिवत सम्मिलित हो सकें।

समिति के सदस्य निर्धारित मानदंडों एवं पुस्तक की गुणवत्ता के आधार पर पुरस्कार के लिए प्राप्त पुस्तकों में से द्वितीय चरण के लिखित मूल्यांकन के लिए पुस्तकों का चयन करेंगे।

2. **द्वितीय चरण:-** प्रथम चरण की मूल्यांकन समिति द्वारा चयनित प्रत्येक पुस्तक को द्वितीय चरण के लिखित मूल्यांकन के लिए हिंदी के तीन विद्वानों के पास भेजा जाएगा। यह मूल्यांकन पुस्तक की विषय वस्तु एवं भाषा-शैली के आधार पर किया जाएगा। विशेषज्ञों को मूल्यांकन पत्रक भी भेजा जाएगा। मूल्यांकक मूल्यांकित पुस्तक के संबंध में अपनी सँक्षिप्त विश्लेषणात्मक टिप्पणी के साथ-साथ पुस्तक की गुणवत्ता के आधार पर उसे उत्कृष्ट, बहुत अच्छी, अच्छी, सामान्य अथवा स्तरहीन कोटि में वर्गीकृत भी करेंगे।

3. तृतीय चरण:- पुरस्कारों का अंतिम निर्णय तीसरे चरण के लिए गठित पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। यह समिति द्वितीय चरण के विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त पुस्तक की श्रेणी एवं उसके संबंध में टिप्पणी के आधार पर उन्नीस पुरस्कारों के लिए पुस्तकों का चयन करेगी।

विशेष :- उक्त तीनों समितियों में सदस्यों की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

परिणामों की घोषणा :- योजना के अंतर्गत पुरस्कृत कृतियों तथा उनके लेखकों के नामों की अधिसूचना हिंदी/अंग्रेजी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं के अग्रणी समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। पुरस्कृत लेखकों को पुरस्कार के निर्णय की सूचना पत्र द्वारा भी दी जाएगी।

अंतिम तिथि:- योजना के अंतर्गत प्रविष्टियां पुस्तक की पांच प्रतियों सहित निर्धारित विवरण-पत्र (आवेदन-पत्र) तथा घोषणा-पत्र के साथ दिनांक 30-05-2023 तक निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पास भिजवाई जा सकती हैं।

टिप्पणी:- विवरण-पत्र (आवेदन-पत्र) तथा घोषणा-पत्र का प्रारूप क्रमशः परिशिष्ट-1 तथा 2 पर उपलब्ध हैं।

भारत सरकार  
केंद्रीय हिंदी निदेशालय  
शिक्षा मंत्रालय  
उच्चतर शिक्षा विभाग

पासपोर्ट आकार  
की दो फोटो  
स्वतः  
साक्ष्यकित्त  
संलग्न करें

हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार योजना

विवरण -पत्र

1. पुस्तक का शीर्षक : -----  
(क) मूल या अनूदित -----  
(ख) यदि अनुवाद किया गया हो तो मूल रचना की भाषा एवं मूल लेखक का नाम (अनुवाद की स्थिति में मूल लेखक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है ।) -----  
(ग) क्या इस कृति के लिए पहले कभी कोई पुरस्कार मिला है ? यदि हाँ तो पुरस्कृत करने वाली संस्था का नाम : -----  
(घ) क्या आवेदक को इस योजना के अंतर्गत पहले कभी पुरस्कार मिला है ? यदि हाँ, तो कब (कृपया विवरण दें) -----  
(ड.) पुस्तक के प्रथम संस्करण का वर्ष तथा प्रकाशक का नाम : -----  
(च) रचना की साहित्यिक विधा अर्थात कथा-साहित्य, काव्य, उपन्यास आदि -----
2. लेखक/ अनुवादक का पूरा नाम: -----

3. पिता/ पति का नाम: -----  
-----
4. जन्म तिथि : -----
5. वर्तमान पता (साफ अक्षरों में) (कृपया अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भी अवश्य लिखें ।)  
-----  
-----
6. स्थायी पता : -----  
-----
7. (i) फोन नं. (ii) मोबाइल
8. ई-मेल:
9. लेखक अनुवादक के निवास के राज्य/संघ क्षेत्र का नाम -----  
-----
10. लेखक अनुवादक की मातृभाषा : -----
11. क्या आप अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित हैं ? यदि हाँ तो कृपया प्रमाण-पत्र संलग्न करें । -----
12. लेखक अनुवादक का संक्षिप्त जीवन परिचय (कृपया संलग्न करें) : -----
13. क्या पुस्तक की पाँच प्रतियाँ संलग्न की गई हैं : -----  
प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है तथा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है ।

हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

नोट: कृपया अपना नाम तथा पता बड़े अक्षरों (हिंदी तथा अंग्रेजी) में साफ-साफ लिखें ।



हिंदीतर -भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार योजना

घोषणा-पत्र

मैं ----- आयु ----- वर्ष पुत्र/  
पुत्री/पत्नी ----- निवासी -----

----- शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. मैं -----राज्य/ संघ क्षेत्र का/ की रहने वाला/  
वाली हूँ ।
2. मेरा जन्म -----राज्य/ संघ में स्थित ----- में  
हुआ था ।
3. मैं ----- राज्य / संघ क्षेत्र का/ की निवासी हूँ ।
4. मेरी मातृभाषा ----- है ।
5. मैं -----आज  
तक कभी भी हिंदी भाषी राज्य संघ शासित क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक की अवधि तक  
न तो रहा रही हूँ और न ही रह रहा/ रही हूँ ।
6. संदर्भित योजना के अंतर्गत मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई पुस्तक ----- को  
पहले कभी केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार अथवा इनके द्वारा पोषित उपक्रमों  
संस्थानों अथवा किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया है ।
7. मुझे सरकार की उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष ----- में मेरी पुस्तक  
----- के लिए पुरस्कृत  
किया गया था ।
8. मैं प्रस्तुत कृति ----- का/ की अनुवादक हूँ ।  
मैंने इस कृति के मूल लेखक -----से अनुवाद  
करने/ प्रकाशित करने तथा पुरस्कार प्राप्त करने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त  
कर लिया है ।

9. प्रस्तुत कृति का कापीराइट मेरे पास है/नहीं है । कापीराइट धारक श्री -----  
----- से मैंने इस आशय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र ले  
लिया है कि उन्हें इस योजना में मेरे पुरस्कार प्राप्त करने पर कोई आपत्ति नहीं है ।
10. मेरी प्रस्तुत कृति ----- एवं आवेदन के संबंध  
में किसी भी प्रकार का विवाद, विसंगति नहीं है तथा किसी भी प्रकार के विवाद,  
विसंगति के प्रति मैं पूर्णतया उत्तरदायी रहूंगा/ रहूंगी ।

मैं पुनः शपथ पूर्वक घोषणा करता/ करती हूँ कि उक्त तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार  
पूर्णतः सत्य है।

हस्ताक्षर -----

पता -----